न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-342RAAJodhpur2024-139RTA223 Rajeev chouadhary Vs Aadarsh Sandghar etc

राजीव चौधरी पुत्र स्व. श्री बचनाराम जाति सीरवी, निवासी– बेरा चोयलों की ढीमड़ी बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. आदर्श सांडघर पिपलिया, जरिये अध्यक्ष आदर्श सांडघर पिपलिया, बाणगंगा रोड़ बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
2. भेराराम पुत्र श्री मोहनलाल जाति पटेल(सांगर) निवासी– बेरा सांगरों का मगरिया, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
3. अमराराम पुत्र स्व. श्री अणदाराम, जाति सीरवी, निवासी– बेरा जुना मगरिया, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
4. पनालाल पुत्र स्व. श्री पुरखाराम जाति सीरवी(काग) निवासी– बेरा कागों का मगरिया, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
5. जगदीश पुत्र स्व. श्री पुरखाराम जाति सीरवी(काग) निवासी– बेरा कागों का मगरिया, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
6. नारायणलाल पुत्र स्व. श्री सूराराम जाति सीरवी, निवासी– चोयलों की ढीमड़ी, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
7. किशनाराम पुत्र स्व. श्री अम्मेदराम, जाति सीरवी(राठौड़) निवासी– बेरा पिपलिया बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
8. गोपाराम पुत्र स्व. श्री अम्मेदराम जाति सीरवी(राठौड़) निवासी– बेरा पिपलिया बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
9. श्रीमती धन्नीदेवी पत्नी स्व. श्री अम्मेदाराम जाति सीरवी(राठौड़) निवासी– बेरा पिपलिया बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 अगस्त 2014 सहायक कलक्टर बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 40/2014 आदर्श सांडघर बनाम भैराराम इत्यादि

उपस्थित–

श्री मदन लाल चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट

श्री बेनाराम पटेल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

नि र्ण य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 05 फरवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 40/2014 अनवान आदर्श सांडघर बनाम भैराराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 अगस्त 2014 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 28 अगस्त 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने बाबत प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 697 रकबा 05 बिस्वा ग्राम बिलाड़ा चक–1 तहसील बिलाड़ा के संबंध धारा 88, 92–ए एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही, जिसमें अपीलांट को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एंव डिक्री दिनांक 05 अगस्त 2014 के जरिये वादी का वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। सर्वप्रथम अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिलाये जाने बाबत पर कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 697 रकबा 7 बिस्वा में से रकबा 5 बिस्वा विक्रेता अम्मेदराम पुत्र रावतराम ने जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनाक 15.02.1976 क्रेतागण मेराराम पुत्र मोहनलाल, किशनाराम पुत्र अम्मेदराम. अणदाराम पुत्र उरजाराम पुरखाराम पुत्र सुजानराम व सूराराम पुत्र खुमाराम को साडघर हेतु बैचान की। क्रेता सूराराम अपीलाण्ट के दादा है, जिनका स्वर्गवास दिनांक 04.01.1998 को हो गया, यानि रेस्पोडेण्ट सख्या 1/ वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में पेश किये गये वाद के पूर्व ही हो गया। अपीलाण्ट के पिता बचनाराम का भी स्वर्गवास अपीलाण्ट के दादा के पूर्व ही दिनांक 01.04.1983 को हो गया। यानि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट के पिता बचनाराम का भी स्वर्गवास रेस्पोडेण्ट संख्या 1/ वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में पेश किये गये वाद के पूर्व ही हो गया। क्रेता सूराराम व अपीलाण्ट के पिता बचनाराम फौत होने से वादग्रस्त कृषि भूमि में क्रेता सूराराम के स्थान पर जरिये उतराधिकार हक व अधिकार क्रेता सूराराम के पुत्र नारायणलाल व अपीलाण्ट को निहित हुआ परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 1/ वादी द्वारा अपीलाण्ट को प्रस्तुत वाद में न तो पक्षकार बनाया है व न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बध में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.2014 अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना व पक्षकार बनाये बिना पारित किया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन करते हुए पारित किया। इस कारण अपीलांट अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार होने से हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1/ वादी वादग्रस्त भूमि को अजनबी क्रेतागण को दिखाने हेतु दिनांक 19.08.2024 को मौके पर लेकर आया, तब अपीलाण्ट भी मौके पर गया तो अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट सख्या 1 को कहा कि आप वादग्रस्त कृषि भूमि का मौका साथ लाये क्रेतागण को क्यो दिखा रहे हो तब रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने बताया कि वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उसके नाम दर्ज है जो न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनाक 05.08.2014 की पालना में दर्ज की गयी, इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को बैचान करने का अधिकार है। तब अपीलाण्ट वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्की मय सम्पूर्ण पत्रावली की नकल हेतु आवेदन दुसरे दिन दिनांक 20.08.2024 को मार्फत अधिवक्ता किया, जिस पर अपीलाण्ट के अधिवक्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मय सम्पूर्ण पत्रावली की नकल दिनांक 22.08.2024 को प्राप्त हुई। जिसे देखने व पढ़ने से अपीलाण्ट को प्रथम बार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनाक 05.08.2014 की जानकारी हुई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

व डिक्की दिनांक 05.08.2014 की प्रथम बार जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 22.08. 2024 को हुई तथा जानकारी तिथि दिनाक 22.08.2024 से अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद पेश की है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलाण्ट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जावे।

गुणावगुण पर अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1/ वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 9/ प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये, बाद नोटिस तामिल प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम नहीं की गयी। रेस्पोडेण्ट सख्या 1/वादी ने मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पी डब्ल्यू 1 नैनाराम, पी डब्ल्यू 2 अमराराम, पी डब्ल्यू 3 पनालाल, पी डब्ल्यू 4 जगदीश, पी डब्ल्यू 5 नणीगराम, पी डब्ल्यू 6 घीसाराम पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 विवादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070, प्रदर्श 2 इकरारनामा दिनांक 18.02.1976 अम्मेदराम व अन्य बहक बींजनाथ व अन्य, प्रदर्श 3 रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.02.1978 अम्मेदराम बहक मेराराम व अन्य प्रदर्शित करवाये। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी / रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की बहस सुनकर पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनाक 05.08.2014 द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 697 रकबा 7 बिस्वा में से 3 बिस्वा भूमि का वादी/ रेस्पोडेण्ट सख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 697 रकबा 7 बिस्वा में से रकबा 5 बिस्वा विक्रेता अम्मेदराम पुत्र रावतराम ने जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.02.1976 क्रेतागण मेराराम पुत्र मोहनलाल, किशनाराम पुत्र अम्मेदराम. अणदाराम पुत्र उरजाराम पुरखाराम पुत्र सुजानराम व सूराराम पुत्र खुमाराम को साडघर हेतु बैचान की। क्रेता सूराराम अपीलाण्ट के दादा है, जिनका स्वर्गवास दिनांक 04.01 1998 को हो गया, यानि रेस्पोडेण्ट सख्या 1/ वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में पेश किये गये वाद के पूर्व ही हो गया। अपीलाण्ट के पिता बचनाराम का भी स्वर्गवास अपीलाण्ट के दादा के पूर्व ही दिनांक 01.04.1983 को हो गया। यानि अपीलाण्ट के पिता बचनाराम का भी स्वर्गवास रेस्पोडेण्ट संख्या 1/ वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में पेश किये गये वाद के पूर्व ही हो गया। क्रेता सूराराम व अपीलाण्ट के पिता बचनाराम फौत होने से वादग्रस्त कृषि भूमि में क्रेता सूराराम के स्थान पर जरिये उतराधिकार हक व अधिकार क्रेता सूराराम के पुत्र नारायणलाल व अपीलाण्ट को निहित हुआ परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 1/ वादी द्वारा अपीलाण्ट को प्रस्तुत वाद में न तो पक्षकार बनाया है व न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बध में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.2014 अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना व पक्षकार बनाये बिना पारित किया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन करते हुए पारित किया। न्यायिक दृष्टान्त 2016 (2) डी एन जे (राज) पेज स. 485 मंगलसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया कि Notice to person having interest/right in the property is necessary" इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2016 (1) डी. एन. जे (राज) पेज से 432, हर गोविन्दसिह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया कि Orders passed in violation of principle of natural justice is not sustainable" उपरोक्त दोनो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण मेंपूर्णतया चस्पा होते है। उपरोक्त आधार पर व उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित मत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.2014 काबिले निरस्तनीय है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 697 रकबा 7 बिस्वा में से रकबा 5 बिस्वा सांडघर हेतु नगर पालिका बिलाडा के वार्ड संख्या 1 के 100 घरों के मुख्यान से चंदा एकत्रित कर 500/– रूपये प्रतिफल राशि अदा कर वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार अम्मेदराम से खरीद की तथा खातेदार अम्मेदराम व उनका पुत्र किशनाराम ने बैचानसुदा वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में बैचान इकरारनामा दिनाक 18.02.1976 को 100 घरों के मुख्यान की सहमति से क्रेतागण बीजनाथ ढगलाराम पुत्र जोगाराम, ढगलाराम पुत्र भीकाराम, लालाराम, ओगडराम, दानाराम पिसराराम, सूराराम ढगलाराम पुत्र केसाराम, मोहनलाल व चौथाराम जो कि 100 घरों में से ही सदस्य है के नाम से निष्पादित किया। तत्पश्चात बैचान इकरारनामा की पालना करते हुए खातेदार अम्मेदराम ने वादग्रस्त कृषि भूमि का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.02.1978 को 100 घरों के मुख्यान की सहमति से क्रेतागण मेराराम पुत्र मोहनलाल, किशनाराम पुत्र अम्मेदराम, अणदाराम पुत्र उरजाराम, पुरखाराम पुत्र सुजानराम व सूराराम पुत्र खुमाराम के पक्ष में किया। उक्त बैचान इकरारनामा दिनांक 18.02.1976 व रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.02.1978 में क्रेता के रूप में अध्यक्ष आदर्श सांडघर पिपलिया पक्षकार नही है तथा न ही आदर्श साडघर पिपलिया के नाम से कोई पंजीबद्ध या अपंजीबद्ध संस्था बिलाड़ा में स्थित है तथा न ही रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी द्वारा आदर्श सांडघर पिपलिया के नाम से बिलाड़ा में पंजीबद्ध या अपजीबद्ध संस्था होने के सम्बंध में कोई प्रमाण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बैचान इकरारनामा दिनांक 18.02.1976 व रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.02.1978 में क्रेता के रूप में अध्यक्ष सांडघर पिपलिया पक्षकार नहीं होने के बावजुद रेस्पोडेण्ट सख्या 1/वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में उक्त बैचान इकरारनामा दिनांक 18.02.1976 व रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.02.1978 के प्रतिकूल उपधारणा कर रेस्पोडेण्ट सख्या 1/वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा खातेदार घोषित किया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय/राजस्व न्यायालय को उक्त बैचान इकरारनामा दिनांक 18.02.1976 व रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.02.1978 के प्रतिकुल उपधारणा कर रेस्पोडेण्ट सख्या 1/ वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में खातेदार काश्तकार घोषित करने का अधिकार नहीं था। न्यायिक दृष्टान्त 2024 (1) आर आर टी पेज संख्या 170 दुर्गाराम बनाम श्रीमति भंवरी व अन्य में राजस्व मण्डल की डबल बैंच द्वारा अभिनिर्धारित किया कि राजस्व न्यायालय रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की अन्तर्वस्तु के विरूद्ध प्रतिकुल उपधारणा नहीं कर सकते। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2020 (1) आर आर टी पेज संख्या 258 शिओजी बनाम बिशन सिंह व अन्य में भी राजस्व मण्डल की डबल बेंच द्वारा अभिनिर्धारित किया कि राजस्व न्यायालय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु निर्देश नहीं दे सकते है। उपरोक्त दोनो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते है। उपरोक्त आधार पर व उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में मण्डल द्वारा पारित मत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.2014 काबिले निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री रेस्पोडेण्ट संख्या 1/ वादी द्वारा पेश मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं के साक्ष्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

शपथ पत्र पी डब्ल्यू 1 व गवाहान पी डब्ल्यू 2 अमराराम पुत्र अणदाराम, पी डब्ल्यू 3 पन्नालाल पुत्र पुरखाराम, पी डब्ल्यू 4 जगदीश पुत्र पुरखाराम पी डब्ल्यू 5 नणीगराम पुत्र पन्नालाल, पी डब्ल्यू 6 घीसाराम पुत्र जोगाराम व दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पेश दस्तावेज प्रदर्श–1 वादग्रस्त कृषि भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070, प्रदर्श–2 बैचान इकरारनामा दिनांक 18.02.1976 व प्रदर्श–3 रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.02. 1978 प्रदर्श–4 व 5 निर्मित सांडघर के रंगीन फोटो ग्राफ के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया, जबकि वादी द्वारा ऐसा कोई प्रमाण वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में वादग्रस्त भूमि स्वयं द्वारा खरीद करने तथा आदर्श सांडघर पिपलिया के नाम से बिलाड़ा में पंजीबद्ध या अपंजीबद्ध संस्था होने के सम्बंध में पेश नहीं किया। इसके अलावा रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी व गवाह पी डब्ल्यू–5 नींगराम, पी डब्ल्यू–6 घीसाराम वादग्रस्त भूमि के क्रेता नही है, इसलिए उनके द्वारा दी गई मौखिक साक्ष्य कानून की दृष्टि में मानने योग्य नही है तथा गवाहान पी डब्ल्यू 2 से 4 जो कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सख्या 1/ वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सख्या 2/1, 3/1 व 3/2 के रूप में पक्षकार थे तथा बावजुद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं हुए तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी से दुरभिसधि कर रेस्पोडेण्ट सख्या 1/वादी के समर्थन में मौखिक साक्ष्य दी, जबकि उन्हें बतौर प्रतिवादी के रूप में पक्षकार होने के नाते रेस्पोडेण्ट संख्या 1/ वादी के समर्थन में मौखिक साक्ष्य देने का कानूनन कोई अधिकार नहीं था परन्तु उनके द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी से दुरभिसधि कर रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी के समर्थन में अपनी मौखिक साक्ष्य दी। इसलिए उनके द्वारा दी गई मौखिक साक्ष्य कानून की दृष्टि में मानने योग्य नहीं है तथा रेस्पोडेण्ट सख्या 1/वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उपरोक्त दस्तावेज जो प्रदर्शित करवाये वो समस्त दस्तावेज भी साक्ष्य में ग्राहय नहीं है, क्योकि प्रदर्श–1, प्रदर्श–2 व प्रदर्श–3 दस्तावेज फोटो प्रतियों है न कि प्रमाणित या मूल प्रतियों है तथा कानूनन जब प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध न हो व पेश न की गयी तो उस स्थिति में पेश द्वितीय साक्ष्य को बिना न्यायालय की अनुमति प्राप्त किये साक्ष्य में ग्राहय नहीं है, जबकि उपरोक्त तीनों प्रदर्शित दस्तावेज द्वितीय साक्ष्य की परिभाषा में आते हैं, जिसे रेस्पोडेण्ट संख्या 1/ वादी द्वारा बिना न्यायालय की अनुमति के प्रदर्शित किया है। इसलिए उक्त तीनों प्रदर्शित दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय नहीं है तथा मात्र उन पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रदर्श अंकित कर देने से उपरोक्त तीनों दस्तावेज कानूनन साक्ष्य में ग्राहय नहीं माने जा सकते हैं। न्यायिक दृष्टान्त 2016 (3) डी एन जे (राज) पेज संख्या 1271 पवन कुमार आचार्य बनाम ओम प्रकाश व्यास व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया कि दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय है. निर्णित करने हेतु दस्तावेज का स्वयं प्रदर्श अंकित करना प्रयाप्त नहीं है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2022 (2) आर आर टी पेज संख्या 1184 ज्यानी बनाम उगमा राम व अन्य में राजस्व मण्डल की डबल बेंच द्वारा अभिनिर्धारित किया कि फोटो कॉपी साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। उपरोक्त दोनो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते हैं। इस प्रकार उपरोक्त तीनों दस्तावेज साक्ष्य ने ग्राहय नहीं होने के बावजुद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तीनों दस्तावेज के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की। उपरोक्त आधार पर व उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में मण्डल व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित मत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08. 2014 काबिले निरस्तनीय है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 40/2014 अनवान आदर्श सांडघर बनाम भैराराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 अगस्त 2014 को खारिज फरमाया जावे एवं तहसीलदार बिलाड़ा को निर्देशित किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी में रजिस्टर्ड बेचाननमा दिनांक 15.02.1978 के आधार पर क्रेतागण के नाम दर्ज करे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 697 ग्राम बिलाड़ा चक–1 पूर्व में अम्मेदराम, रावततराम की खातेदारी की भूमि थी। उक्त आराजी में सें 05 बिस्वा भूमि समस्त ग्रामवासियों ने चन्दा इकट्ठा कर ग्राम वासियों द्वारा इकरारनामा दिनांक 18.02.1976 निष्पादित किया तथा आम सहमति से गांव के मौजिज व्यक्तियों/रेस्पोडेंट संख्या दो से नौ के नाम उक्त भूमि सांडघर के लिए खरीदी थी तथा मौके पर सांडघर बना हुआ है। ग्रामवासियों द्वारा किये गये इकरारनामे में स्पष्ट लिखा है कि यह जमीन सांडघर बनाने हेतु खरीदी गई है। उक्त मौजिज व्यक्तियों में सूराराम पुत्र खुमाराम भी मौजूद थे, जिनका नाम भी पंजीबद्ध विक्रय विलेख में सम्मिलित है। अपीलांट सूराराम के पुत्र बचनाराम का पुत्र है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट के काका नारायणलाल पुत्र स्व. श्री सूराराम, जिन्होने भी सांडघर हेतु राजस्व रेकर्ड में भूमि का अमल दरामद किये जाने हेतु अपनी सहमति दी है। अपीलांट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त भूमि का कोई बेचान नहीं किया जा रहा है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन, म्याद बाधित एवं अनुमति बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख प्रदर्श ई.एक्स.–3 बेचाननामा दिनांक 15 फरवरी 1978 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 697 रकबा 07 बिस्वा के तत्कालीन खातेदार अमेदाराम पुत्र रावतराम द्वारा रकबा 05 बिस्वा भूमि बेचान भेराराम पुत्र मोहनलाल, किसनाराम पुत्र अमेदराम, अणदाराम पुत्र उरजनराम, पुरखाराम पुत्र सुजानराम, सूराराम पुत्र खूमाराम को बेचान किया जाना पाया जाता है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श ई.एक्स.–2 ईकरारनामा दिनांक 18.02.1976 जो वादग्रस्त आराजी के तत्कालीन खातेदार अमेदराम पुत्र रावतराजी एवं किसनाराम पुत्र रावतराजी द्वारा बींजनाथजी पुत्र हरनाथजी, ढगलारामजी पुत्र जोगारामजी सीरवी, ढगलारामजी पुत्र भीकारामजी सीरवी, लालाराम पुत्र सुखारामजी सीरवी, ओगड़रामजी पुत्र भीकजी, दानारामजी पुत्र भीकाजी, मिसरारामजी पुत्र दानाजी, सूरारामजी पुत्र खूमाजी, ढगलारामजी पुत्र केसारामजी मोहनलाल जी पुत्र अमेदजी पटेल व चौथारामजी पुत्र मुकनाराजी सियाल के साथ निष्पादित किया गया है। उक्त ईकरारनामा में यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त आराजी में रकबा 05 बिस्वा भूमि वार्ड नंबर 1 के 100 घरो से चंदा कर खरीद की गई है तथा उक्त भूमि का उपयोग सांड घर के निर्माण हेतु किया जायेगा।

रेस्पोडेंट संख्या एक/वादी द्वारा स्वयं अध्यक्ष आदर्श सांडघर, पिपलिया का अध्यक्ष बताते हए वादग्रस्त आराजीयात को आदर्श सांडघर संस्था के नाम खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। वादी द्वारा उक्त संस्था के पंजीबद्ध होने के संबंध में भी किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। अपीलांट तत्कालीन सहक्रेता सूराराम पुत्र खूमाजी के पुत्र बचनाराम का पुत्र है। वादी द्वारा अपने वाद स्व. सूरारामजी के सभी विधिक वारिसान् को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायिक दृष्टान्त 2016 (2) डी एन जे (राज) पेज स. 485 मंगलसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा धारित मत कि Notice to person having interest/right in the property is necessary" तथा न्यायिक दृष्टान्त 2016 (1) डी. एन. जे (राज) पेज 432, हर गोविन्दसिह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मत कि Orders passed in violation of principle of natural justice is not sustainable" हस्तगत मामले में लागू होते है।

इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री स्व. सूराराम के सभी विधिक वारिसान् को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 40/2014 अनवान आदर्श सांडघर बनाम भैराराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 अगस्त 2014 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट सहित सभी व्यक्तियों को पक्षकार संयोजित करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से वाद का निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर